(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं0– ..... से .....
जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 13/2020– 21 (ऑनलाईन विविध वाद सं0– 16/2022– 23)

केस का प्रकार – विविध वाद

आदेश का क0 सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20.12.2024	–:आदेश: – यह विविध वाद अभिलेख सं0– 13/2022–23 (ऑनलाईन विविध वाद सं0– 16/2022– 23) आवेदक समसुद्दीन मियाँ, पिता– स्व0 हनीफ मियाँ, साकिन– कोडाडीह, थाना– धनवार के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0– 06 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है : – 1. मौजा– कोडाडीह, थाना नं0– 69 के अन्तर्गत रैयती खाता सं0– 07, प्लॉट नं0– 510, रकवा– 2.68 एकड भूमि सर्वे खतियान के अनुसार टोकनी मियाँ वल्द कैला मियाँ के नाम से दर्ज है। 2. प्रथम पक्षकारः – क्रेता समसुदिन मियाँ पिता स्व0 हनीफ मियाँ साकिन– कोडाडीह द्वारा निबंधित दस्तावेज सं0 – 190, दिनांक– 19.02.2016 के अनुसार रैयती खाता 07 प्लॉट नं0– 510, रकवा– 10 डी0 भूमि खरीद किया है। 3. द्वितीय पक्षकारः– मो0 युनुस पिता स्व0 बाबु मियाँ, ग्राम– कोडाडीह, थाना नं0– 69, अंचल धनवार के द्वारा प्रथम पक्षकार को खतियानी रैयती भूमि बिक्री किया गया है। 4. उपर्युक्त वर्णित भूमि का उभय पक्षों में विवाद होने के कारण अंचल अमीन से मापी कराया गया है। भूमि का जमाबंदी दा0 खा0 केश सं0– 1549/वर्ष 2018 – 19 के अनुसार क्रेता के नाम से कायम है। दा0 खा0 के वक्त किसी के द्वारा को आपत्ति नही किया गया है। 5. अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार रैयती खाता सं0– 07, प्लॉट नं0– 510 में रकवा– 6.25 डी0 तथा प्लॉट नं0– 526 में 3.75 डी0 होता है। उक्त भूमि 10 डी0 पर धान खेत बना हुआ है। जो वर्तमान में परती है। मो0 समसुदीन द्वारा बताया गया कि यह जमीन बिक्रेता मो0 युनूस के दखल कब्जा में था जो इनके दादा बिक्री किया गया। केवाला में दर्ज प्लॉट 510 रकवा– 10 डी जो समसुदीन के नाम है, जो वर्तमान में इनका मापी के अनुसार 6.25 डी0 होता है तथा शेष 3.75 डी0 भूमि विक्रेता के हिस्सेदार फारूक मियाँ वगै0 वो हाजी अब्दुल रज्जाक के जोत – कोड़ में है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने को कहा गया। दिनांक– 13.12.2024 को उभय पक्ष उपस्थित होकर बताए कि उभय पक्षों में समझौता हो गया है। उभय पक्ष के द्वारा समझौता संबंधी लिखित में भी आवेदन समर्पित करते हुए वाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। अतः उभय पक्ष में समझौता हो गया। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्रवाई बंद किया जाता है। विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है। लेखापित एवं संशोधित। 20.12.24 अंचल अधिकारी, धनवार। 20.12.24 अंचल अधिकारी, धनवार।	

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2024.12.21 10:32:19 +05:30
Location: 192.168.137.1